Issn 0973-9777

वर्ष - 6 अंक - 3 मई-जून 2012

भारतीय शोध पत्रिका

आन्वीक्षिकी

भासद्धयी अन्तर्राट्रीय शोध समग्र पत्रिका

एम.पी.ए.एस.वी.औ.

एम.पी.ए.एस.वी.औ. एवं आन्वीक्षिकी
सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित

मनीषा प्रकाशन
www.anvikshikijournal.com

आन्वीक्षिकी

भारतीय शोध पत्रिका

मासद्वयी अन्तर्राष्ट्रीय शोध समग्र पत्रिका

प्रधान सम्पादिका

डॉ. मनीषा शुक्ला,maneeshashukla76@rediffmail.com

पुनर्निरीक्षक संपादक

प्रो. विभा रानी दुबे,काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, उ.प्र.,भारत

डॉ. नागेन्द्र नारायण मिश्र,इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद,उ.प्र.,भारत

सम्पादक

डॉ. महेन्द्र शुक्ल,डॉ. अंशुमाला मिश्रा

सम्पादक मण्डल

डॉ. एस. पी. उपाध्याय, डॉ. अनीता सिंह, डॉ. राधा वर्मा, डॉ. प्रभा दीक्षित, डॉ. विशाल अशोक आहेर, डॉ. गीता देवी गुप्ता, ज्योति प्रकाश, डॉ. पद्मिनी रविन्द्रनाथ, डॉ. (श्रीमती) विभा चतुर्वेदी, डॉ. नीलमणि प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, सरिता वर्मा, उमाशंकर राम, अवनीश शुक्ला, विजयलक्ष्मी, कविता, धर्मेन्द्र शुक्ल

अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल

रेव डोडामगोडा सुमनासार (श्रीलंका), वेन केन्डागेले सुमनारांसी थेरो (श्रीलंका), रेव टी धम्मारतना (श्रीलंका), पी.त्रिराची सोडामा (श्रीलंका), फ्रा च्युतिदेश सैन्सोम्बट (बैंकाक,थाईलैंड), फ्रा बूनसर्मस्त्रिथा (थाईलैंड), डॉ. सीताराम बहादुर थापा (नेपाल), मोहम्मद सौरजाई (जाबोल, ईरान), माजिद करीमजादेह (ईराक), डॉ. अहमद रेजा केईखाय फरजानेह (जाहेडान, ईरान), मोहम्मद जारेई (जाहेडान, ईरान), मोहम्मद मोजटाबा केयाहफरजानेह (जाहेडान, ईरान), डॉ. होसैन जेनाबदी (सिस्तान एवं बलूचिस्तान, ईरान), मोहम्मद जावेद केयाह फरजानेह (जाबोल, ईरान)

प्रबन्धक

महेश्वर शुक्ल,maheshwar.shukla@rediffmail.com

सारांश एवं सूचीपत्र

मोतीलाल बनारसीदास सूचीपत्र वाराणसी, मोतीलाल बनारसीदास सूचीपत्र दिल्ली, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पत्रिका सूचीपत्र वाराणसी, सेन्ट्रल न्यूज एजेंसी सूचीपत्र दिल्ली, डी.के.पब्लिकेशन सूचीपत्र दिल्ली, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्यूनिकेशन एण्ड इन्फारमेशन रिसोर्स सूचीपत्र दिल्ली, नोएडा कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजूकेशन सूचीपत्र गौतमबुद्ध नगर

पाठकों से

आन्वीक्षिकी,भारतीय शोध पत्रिका प्रत्येक दो माह (जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर एवं नवम्बर) पर एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण वाराणसी उ.प्र. भारत द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक वर्ष में आन्वीक्षिकी,भारतीय शोध पत्रिका 6 भाग हिन्दी एवं 6 भाग अंग्रेजी एवं 3 अतिरिक्तांकों के भाग में प्रकाशित की जाती है। डॉक खर्च दर के सम्बन्ध में जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

वार्षिक पाठक मूल्य दर

संस्थागत : भारतीय 4,500+500/-डाक शुल्क,एक प्रति 700+51/- डाक शुल्क,वैदेशिक : 6000+डॉक खर्च,एक प्रति 1000+डाक शुल्क
व्यक्तिगत : 3,500+500/-डाक शुल्क,एक प्रति 500+51 डाक शुल्क सहित,वैदेशिक 5000+डाक शुल्क,एक प्रति 1000+डाक शुल्क

विज्ञापन एवं निवेदन

विज्ञापन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रधान सम्पादिका के पते पर संपर्क करें। आन्वीक्षिकी एक स्ववित्तपोषित पत्रिका है, अत: किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग सराहनीय होगा। कृपया अपनी सहयोग राशि चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें।

सभी पत्राचार निम्नलिखित पते पर ही प्रेषित करें-

बी.32/16 ए. 2/1,गोपालकुंज,नरिया,लंका वाराणसी उ.प्र. भारत,पिन कोड 221005 मोबाइल नं. 09935784387,
टेलीफोन नं. 0542-2310539.,E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com,www.anvikshikijournal.com
मिलने का समय : 3-5 दिन में(रविवार अवकाश)

पत्रिका संयोजन

महेश्वर शुक्ल,maheshwar.shukla@rediffmail.com

प्रकाशन

एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण

मनीषा प्रकाशन

(पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008 बी.32/16 ए. 2/1,गोपालकुंज,नरिया, लंका वाराणसी उ.प्र. भारत)

आन्वीक्षिकी

भारतीय शोध पत्रिका

वर्ष-6 अंक-3 मई-2012

शोध प्रपत्र

महाभारत में व्यूह रचना -डॉ. राजीव कुमार त्रिपाठी 1-9
अधुनातन संस्कृत कवियों में वसन्त त्र्यम्बक शेवडे का योगदान -किरन 10-13

संस्कृत वाङ्मय में ताप विज्ञान -मनीषा 14-16
स्त्री अधिकार एवं कर्तव्य के संदर्भ में मनु एवं याज्ञवल्क्य के विचारों का अन्तर -डॉ. मनोज कुमार सिंह 17-23

प्रसाद की कहानियों का प्रधान लक्ष्य -डॉ. अंजूबाला 24-28
अनूप सेठी का 'जगत में मेला' : परिवेश की मुकम्मल तस्वीर -डॉ. राधा वर्मा 29-34

जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कंकाल का विश्लेषण -डॉ. अंजूबाला 35-40
मैथिली भाषा-साहित्य की स्थिति और अपेक्षा : एक समीक्षात्मक अध्ययन -शशिनाथ चौधरी 41-42

मूल्य और रचना विमर्श : प्रसाद साहित्य के संदर्भ में -डॉ. अंजूबाला 43-45
जैव विविधता का सिमटता दायरा देख संशय पैदा करती 'संशयात्मा' की कविताएँ -डॉ. राधा वर्मा 46-51

संजीव की प्रयोगधर्मी रचनाओं की एक झलक -रजनीश कुमार प्रजापति 52-55
शिक्षा में निवेश का महत्व एवं आवश्यकता -राजेन्द्र कुमार चौरसिया 56-59

वर्तमान में मूल्य-शिक्षा की आवश्यकता -डॉ. गीता देवी गुप्ता 60-63
वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के इस दौर में ''आधुनिक शैक्षिक प्रबन्धन''
की आवश्यकता एवं महत्व -राजेन्द्र चौरसिया 64-67

संथाल एवं उनकी मूल्य-प्रणालियाँ -डॉ. रेणु कुमारी एवं पूनम कुमारी 68-76
पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति का विकास -मनोज कुमार सिंह 77-82

पाल शासन काल में निर्मित बौद्ध महाविहार -ज्योति शुक्ला 83-85
वैस क्षत्रियों का परिचय -मनीष कुमार सिंह 86-90

बिहार में सामाजिक बराबरी का आन्दोलन : त्रिवेणी संघ की भूमिका -अमृता कुमारी 91-95
भारतीय गणतंत्र के साठ वर्ष : मिथक या यथार्थ -मो. खलिकुर रहमान 96-102

सशक्त लोकतंत्र का आधार : स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव -डॉ. कृष्ण देव सिंह 103-107
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पारिवारिक बजट के संदर्भ में प्रो. एंजिल के उपभोग नियम की
प्रासंगिकता का विश्लेषण एवं मूल्यांकन -डॉ. बी. डी. हरपलानी एवं रश्मि सक्सेना 108-112

बिहार में ग्रामीण विकास : दशा एवं दिशा -कुमारी दिव्या 113-118
विभिन्न योगासन मुद्राओं से होने वाले लाभ -ब्रजेश कुमार 119-123

संगीत चिकित्सा के विभिन्न आयाम -डॉ. (श्रीमती) विभा चतुर्वेदी 124-126
भारतीय शास्त्रीय संगीत की मौखिक परम्परा एवं संस्थागत शिक्षण पद्धति की विधियाँ -
कुमारी प्रीती सिंह एवं डॉ. विभा चतुर्वेदी 127-129

संगीत में लय और ताल -डॉ. (श्रीमती) विभा चतुर्वेदी 130-132
जनसंख्या वृद्धि : एक ज्वलन्त समस्या -सुनयना कुशवाहा 133-136

रीतिकाव्य में शृंगारिकता -डॉ. अंशुमाला मिश्रा 137-140
अथर्ववेद में वर्णित मेधा शक्ति -डॉ. कनक लता दुबे 141-146

कालिदास साहित्य में शैक्षिक सन्दर्भ -डॉ. कमला दुबे 147-151
मनुस्मृति से मनु के स्त्री विषयक आख्यान (अध्याय 1 से 3 के प्रसंग) -डॉ. मनीषा शुक्ला 152-155

महाभारत युद्ध के प्रमुख संचालक योद्धा -डॉ. राजीव कुमार त्रिपाठी 156-160
अपराध एवं अपराधियों के बदले परिदृश्य -डॉ. शशी प्रकाश सिंह 161-164

अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार -डॉ. अतुल प्रताप सिंह 165-169

पत्रावली संख्या V-34564, पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2012) **6,165-169**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 22 अप्रैल 2012

अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार

डॉ. अतुल प्रताप सिंह*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित *अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार* शीर्षक लेख / शोध प्रपत्र का लेखक मैं *अतुल प्रताप सिंह* घोषणा करता हूँ कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख / शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देता हूँ। मैं शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देता हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देता हूँ।

सारांश

खिलजियों की उत्पत्ति विवादास्पद है, कुछ विद्वान उन्हें अफगान मानते हैं, तो कुछ तुर्क। इतिहासकार बरनी ने तारीख-ए-फिरोजशाही ने खिलजियों को तुर्कों से भिन्न प्रमाणित करने का प्रयास किया है; परन्तु तारीख-ए-फखरूद्दीन-मुबारक शाही का लेखक फखरूद्दीन खिलजियों को तुर्क ही मानता है। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय अनेक खिलजी भारत चले आये, उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के यहाँ सेना एवं अन्य प्रशासनिक विभागों में नौकरी ली। कालांतर में वे सल्तनत में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और अन्ततः सल्तनत के मालिक बन बैठे। भारत में खिलजी बंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिजली था। खिलजी वंश के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे अधिक प्रभावशाली शासक हुआ, उसने लगभग 20 वर्षों तक (1296 ई.-1316 ई.) योग्यतापूर्वक शासन किया। उसने दिल्ली साम्राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार किया। इतना ही नहीं, उसने सुल्तान के पद की गरिमा एवं शक्ति पुनः स्थापित की तथा आर्थिक एवं प्रशासिनक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किये।

अलाउद्दीन खिलजी ने मामलुक राजनीति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं किया और न ही प्रशासन के क्षेत्र में ही नवोन्मेष किया तो भी वह सर्वश्रेष्ठ प्रशासक था। उसने प्रशासनिक मामलों में दिशा निर्देश तय किये तथा गम्भीरता से योजनाएं बनायी। उसने सरकार के कार्यात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया तथा नौकरियों में अनुशासन कायम करके अनेक कार्यक्रम बनाया।

अलाउद्दीन के शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक है-प्रशासनिक व्यवस्था को स्थायी, कुशल और सुदृढ़ बनाना। प्रशासक के रूप में सल्तनत-काल के सुल्तानों में अलाउद्दीन का बहुत ऊंचा स्थान है, उसने समयानुकूल और व्यावहारिक शासन-व्यवस्था की स्थापना की। अलाउद्दीन सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप से शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी था। राज्य की सारी शक्तियां उसी के हाथों में केन्द्रित थी। उसने न तो अमीरों का प्रभाव स्वीकार किया और न ही उलेमा के

* प्रवक्ता, इतिहास विभाग, पी. आर. बी. एस. डिग्री कॉलेज रायबरेली (उत्तर प्रदेश) भारत

© लेखक 2012, एम.पी.ए.एस.वी.ओ.मुद्रण एवं आन्वीक्षिकी सदस्य सहसंयोजन से प्रकाशित,सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com, इस प्रपत्र को www.onlineijra.com पर पढ़ें

आदेशों का। उसके मंत्री भी उसके सलाहकार न होकर उसके सेवक के समान थे, जिन्हें सुल्तान की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। प्रान्तीय सूबेदारों पर भी उसका कठोर नियंत्रण रहता था। सुल्तान का सबसे निकटम सहयोगी वज़ीर होता था। वह दीवान-ए-वजारत (वित्त विभाग) का प्रधान होता था। राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसी की थी। इसके अतिरिक्त वह अन्य मंत्रियों एवं विभागों के कार्यों की देखभाल भी करता था। राज्य के अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे- युद्ध मंत्री, सम्पर्क साधने वाला मंत्री और विदेश मंत्री। इनके जिम्मे विभिन्न विभाग सौंपे गये थे। दीवान-ए-आरिज के जिम्मे सैनिक कार्य, सेना की नियुक्ति, उनके वेतन का प्रबन्ध, सेना के साजो सामान जुटाने, सेना का निरीक्षण कार्य इत्यादि कार्य सौंपे गये थे। युद्ध मंत्री आरिज-ए-ममालिक कहलाता था। दीवान-ए-इंशा विभाग का प्रधान दबीर-ए-ख़ास होता था। दीवान-ए-रसातल विदेश विभाग था। अलाउद्दीन ने एक नये विभाग की भी स्थापना की, जो दीवान-ए-रियासत के नाम से जानी जाती थी। बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। इन मंत्रियों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अनेक कर्मचारी थे, जो विभिन्न विभागों से सम्बद्ध कार्यों की देखभाल करते थे। अलाउद्दीन से निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की। वह स्वयं ही सर्वोच्च न्यायाधीश था और दरबार में बैठकर न्याय किया करता था। सुल्तान के पश्चात् न्यायिक व्यवस्था का प्रधान 'सद्र-ए-जहाँ काजी-उल-कुजात' था। उसके नीचे 'नायब काजी' या अदल और मुफ्ती होते थे। अमीर-ए-दाद प्रभावशाली, परन्तु दोषी व्यक्तियों को दरबार में हाजिर करवाते थे। प्रान्तों में भी केन्द्र के अनुरूप ही न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गयी। स्थानीय मामूली झगड़ों को मुखिया और पंचायते सुलझाती थी। दण्ड विधान अत्यन्त कठोर था, न्याय में विलम्ब नहीं होने दिया जाता था। कठोर दण्ड द्वारा राज्य में शान्ति व्यवस्था कायम की गयी। राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने और विद्रोही प्रवृत्तियों पर निगरानी रखने के लिए अलाउद्दीन ने पुलिस एवं गुप्तचर विभाग की तरफ भी यथेष्ठ ध्यान दिया। पुलिस विभाग का प्रधान कोतवाल होता था। कोतवाल के नियंत्रण में ही दीवान-ए-रियासत, शहना (दण्डाधिकारी) और मुहतसिब (गैर इस्लामी बातों को रोकने वाला अधिकारी) कार्य करते थे।

सुल्तान ने एक कुशल गुप्तचर-विभाग का भी संगठन किया। सम्पूर्ण राज्य में निपुण एवं प्रशिक्षित गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया, जो प्रत्येक घटना की सूचना सुल्तान को देते थे। गुप्तचर विभाग का प्रधान बरीद-ए-ममालिक था, जो बरीद (संदेश वाहक) और मुनहियन या मुन्हीं (सूचनायें एकत्र करने वाले) की सहायता से इस विभाग का कार्य देखता था। गुप्तचर विभाग की कार्यकुशलता का उल्लेख करते हुए बरनी लिखता है- ''कोई भी उसकी (सुल्तान की) जानकारी के बिना हिल नहीं सकता था और मालिकों में अमीरों, अधिकारियों एवं महान व्यक्तियों के यहाँ जो भी घटना घटती थी, उसकी सूचना कालान्तर में सुल्तान को दे दी जाती थी। गुप्तचरों की गतिविधियों के कारण वे अपने घरों में कांपते रहते थे।''

गुप्तचर व्यवस्था की कार्यकुशलता में अलाउद्दीन की डाक व्यवस्था में भी सहायता पहुँचायी। अतः सुल्तान ने इस तरफ भी ध्यान दिया। विद्रोहों तथा युद्ध के अवसरों पर डाक व्यवस्था से पर्याप्त सहायता मिलती थी। एक सुसंगठित सेना अलाउद्दीन के विजय आकांक्षाओं की पूर्ति एवं उसकी निरंकुशता को बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। अतः सुल्तान ने सेना के संगठन में विशेष दिलचस्पी दिखाई, उसने सेना के केन्द्रीयकरण किया और एक स्थायी सेना की व्यवस्था की। फरीश्ता के अनुसार इस सेना में 4,75,000 सुसज्जित और वर्दीधारी घुड़सवार थे। सेना को संख्या के आधार पर विभिन्न टुकड़ियों में बांटकर उन्हें खानों, मलिकों, अमीरों, सिपहसालारों इत्यादि के अन्तर्गत रखा गया। राजकीय कारखानों में युद्ध के अस्त्र-शस्त्र बनवाये गये तथा उनसे सैनिकों को सुसज्जित किया गया। इसी सेना के बल पर अलाउद्दीन ने सल्तनत की सीमा का विस्तार किया।

अलाउद्दीन ने प्रचलित अर्थ व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किये। दिल्ली के सुल्तानों में वह पहला शासक था, जिसने भूमि-व्यवस्था और कर-प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। इस समय भू-पतियों के जिम्मे ही अधिकांश जमींन थी, फलस्वरूप जमींदारों के हौसलें बहुत अधिक बढ़ गये थे। राजस्व वृद्धि के लिए अलाउद्दीन ने तीन महत्वपूर्ण उपाय किये। सबसे पहले उसने दोआब में प्रचलित भू-राजस्व की दर में वृद्धि की। अब किसानों से उपज का 1/2 भाग लगान (भूमिकर या खिराज) के रूप में लिया गया। इतिहासकार बरनी के अनुसार नाप और प्रति ''बिस्वा'' के आधार पर लगान निश्चित किया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने वास्तविक उपज

के आधार पर लगान की राशि निश्चित की। इस व्यवस्था के द्वारा राज्य ने किसानों से सीधा सम्बन्ध स्थापित किया तथा राज्य और किसानों के बीच बिचौलियों का प्रभाव समाप्त कर दिया। जमींदारों पर नियंत्रण कायम करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने मिल्क (सम्पत्ति), इनाम और वक्फ (उपहार) में दी गयी भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि (सुल्तान की भूमि) में परिवर्तित कर दिया। लगान उसूलने वाले मुकदमों (मुखिया), खूत (जमींदार) और चौधरी के विशेषाधिकारों को समाप्त कर उनसे लगान वसूल का काम वापस ले लिया। इससे उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी। अब उनके स्थान पर आमिल (कर एकत्र करने वाले) एवं गुमाश्ता (प्रतिनिधि लगान वसूलने लगे। लगान वसूली से सम्बद्ध अन्य पदाधिकारी थे मुहस्सिल (खराज वसूलने वाला), ओहदा दाराने दफ़ातीर (कार्यालय का अध्यक्ष) और नवीसिन्दा (लिपिक)। बड़ी संख्या में हिन्दू कर्मचारियों को भी लगान व्यवस्था से जोड़ा गया। दीवान-ए-मुस्तखराज के जिम्मे राजस्व व्यवस्था सौंप दी गयी। खिराज (भूमि कर) की मात्रा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गयी। राज्य ने कुछ नये कर भी लगाये, जैसे आवास कर एवं चाराई कर। राज्य को सिंचाई-कर, सीमा-शुल्क, करही, जजिया, जकात और खुम्स, (अलाउद्दीन ने इसका 4/5 भाग राज्य कर के रूप में लिया) से भी आमदनी होती थी। अलाउद्दीन की राजस्व नीति को सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय उसके नायब वजीर शर्फ कायिनी को दिया जाता है। अलाउद्दीन की राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप राज्य के आर्थिक नीति सुदृढ़ हुई।

अलाउद्दीन की भू-राजस्व व्यवस्था की आलोचना करते हुए प्रो. आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं, ''राजस्व विभाग में सबसे बड़ी खराबी स्थायी रूप से यह आ गयी थी कि लगान ठीक से वसूल नहीं हो पा रहा था और बहुत बड़ी धनराशि बाकी रह जाती थी। चूंकि अभी लगान प्रथा ठीक से बनायी जा रही थी, लगान आंकने तथा वसूल करने का काम अविकसित रूप में था, अतः कुछ रकम की वसूली होने से बाकी बच जाना अनिवार्य हो गया था।'' इस कर को वसूल करने के लिए एक नये विभाग दीवान-ए-मुस्तखराज खोला गया और गलती करने वालों के लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था की गयी।

अलाउद्दीन का दूसरा महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार था, बाजार एवं मूल्य पर नियंत्रण स्थापित करना। सम्भवतः सैनिकों को उचित कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए ही सुल्तान ने यह व्यवस्था की थी। मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य जनता को भी राहत पहुँचाना था। प्रो. के. एस. लाल और मोरलैण्ड का विचार है कि यह व्यवस्था सिर्फ दिल्ली में ही लागू की गयी थी। परन्तु कुछ विद्वानों की धारणा है कि इसे पूरे साम्राज्य में लागू किया गया था। बाजार की देखभाल का कार्य दीवान-ए-रियासत को सौंपा गया। यह विभाग सुल्तान के विश्वास पात्र याकूब के अधीन था। उसने सभी वस्तुओं के लिए अलग-अलग बाजारों की व्यवस्था की। उसके अधीन शहना (बाजार का अधीक्षक) और बरीद (गुप्तचर अधिकारी) की नियुक्ति की गयी। इन अधिकारियों का कार्य बाजार में वस्तुओं के मूल्यों की, बटखरों की जांच करना था। सभी व्यापारियों शहान-ए-मण्डी में अपने को पंजीकृत करवाना पड़ता था। सिर्फ पंजीकृत व्यापारी ही व्यापार कर सकते थे। अलाउद्दीन ने विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न प्रकार के बाजार संगठित किये और उनके लिए आवश्यक अधिनियम बनाये। ये बाजार थे, मण्डी (गल्ला बाजार), सरा-ए-अदल, घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार तथा अन्य वस्तुओं के लिए सामान्य बाजार।

अनेक विद्वानों ने अलाउद्दीन खिलजी की व्यापार और मूल्य सम्बन्धी नीतियों की कटु आलोचना की है। उनका तर्क है कि सुल्तान का उद्देश्य केवल दिल्ली की प्रजा को ही संस्तुष्ट करना था, जिससे वे निरंकुश शासन के विरूद्ध आवाज नहीं उठा सके। दिल्ली की प्रजा के लिए सीमावर्ती लोगों का शोषण किया गया। प्रो. इरफान हबीब का भी मानना है कि इस योजना का लाभ वास्तव में सामन्त और सैनिक ही उठा सके, मूल्य में कमी और मजदूरी की दर में कमी का असर समाज में छोटे तबके पर पड़ा। जिनकी क्रय शक्ति अधिक थी, अथवा जिनके पास संचित धन था, वे ही अलाउद्दीन की योजना से लाभान्वित हो सके। अलाउद्दीन के बाद व्यापारियों का विरोध उभरकर सामने आया, इसके बावजूद यह तथ्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन की एक विशिष्ट उपलब्धि थी।

उसके द्वारा किये गये प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार जनता में उसके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न करने तथा साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाये रखने में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती दो मामले में अलाउद्दीन खिलजी

ने राज्य की नीतियों को उदार बनाया तथा उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त मुस्लिम अप्रवासियों सहित, जन साधारणों, इस्लाम धर्म अपनाए भारतीयों तथा हिन्दुओं तक के लिए खुला छोड़ दिया, जिससे उसे जनता में काफी ख्याति मिली तथा सभी दक्ष और कुशल व्यक्तियों को राज्य को अपनी सेवाएं अर्पित करने का भरपूर मौका भी मिला। सैन्य प्रशासन में सुधारों (दाग महाली, हुलिया लिखने तथा नकद वेतन प्रदान कर) के माध्यम से उसने अपनी सेवा को कुशल एवं गतिशील बनाया जो उसके साम्राज्यवादी नीति के प्रसार तथा साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा में सहायक सिद्ध हुई। अपने साम्राज्य में विद्रोहों की आशंका को समाप्त करने के लिए उसने एक तरफ तो कुशल गुप्तचर प्रणाली की व्यवस्था की तो दूसरी तरफ अमीरों के सामाजिक लेन-देन या उनके बीच होने वाली शादियों, मद्यपान तथा जुए एवं धन के अत्यधिक संग्रह पर प्रतिबन्ध लगाया। कोई भी दापती और चालक व्यक्ति शाही गुप्तचरों की कड़ी निगरानी से बच नहीं सकता था। इस प्रकार उसने साम्राज्य में शांति व्यवस्था को बनाये रखने में सफलता प्राप्त करके जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर, जागीरों और रियासतों को जब्त कर, राजकीय सेवाओं के बदले जमींन देना बन्द कर तथा दान की राशि को सीमित कर उसने राज्य के लिए आपके अतिरिक्त साधनों की तलाश की जिसने उसके साम्राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। इस प्रकार उसने प्रशासन को मजबूत बनाया तथा राज्य में अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी पर रोक लगाने में विजय प्राप्त की। उसके द्वारा किये आर्थिक सुधारों में मूल्यों का निर्धारण, बाजर नियंत्रण तथा उपभोक्ता वस्तुओं का राशनिंग आदि जैसी गतिविधियां शामिल थी, जिसकी सफलता के लिए उसने विभिन्न अधिकारियों यथा-दिवाने रियासत, शहना-ए-मण्डी तथा बरीद आदि की नियुक्ति की तथा सराय अदल नामक बाजार की व्यवस्था की। यद्यपि ये सुधार पूर्व वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर अधारित नहीं थे, फिर भी उस काल के सुधारों में उनका विशिष्ट योगदान था। इन सुधारों के माध्यम से जहां मुद्रास्फिति नियंत्रित रहीं, सैनिकों को कम वेतनमान में भी उच्च जीवन स्तर प्राप्त हुआ, वहीं आकाल जैसी स्थिति में भी लोगों को भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ा। किन्तु विधि की विडम्बना ही कहेगें कि जहां अलाउद्दीन की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रगतिशील और धर्म निरपेक्ष राज्य के बीज समाहित थे, परिणामतः दो-तीन पीढ़ियों के लिए उसने शांति तथा स्थापित्व प्रदान किया और देश समृद्धि के युग में प्रवेश किया और कम से कम दो शताब्दियों तक प्रगति की राह पर बढ़ता रहा, वहीं यद्यपि उसके मूक सुधार, बाजार नियंत्रण तथा अन्य वित्तीय नीतियों ने भारतीय अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहित किया तथा हिन्दू व मुसलमानों सहित शहरी और ग्रामीण जनता को सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया तथापि वे सारे आर्थिक नियम, सुल्तान की मृत्यु के नाम ही मिट गये, जिसे देश में उत्पात तथा आर्थिक अशांति फैल गयी।

अब प्रश्न उठता है कि अलाउद्दीन द्वारा किये गये सुधारों में उसका निहितार्थ क्या था। इस सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि वह आरम्भ से ही एक साम्राज्यवादी शासक था जो सत्ता को अपनी प्रेयसी समझता था। अतः सत्ता पर मात्र उसका ही अधिकार होना चाहिए, इसलिए उसने विरोध के लगभग सभी स्रोत को नष्ट कर दिया, जिसके लिए उसने न केवल एक विशाल सेना का निर्माण किया बल्कि सुधारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रारम्भ की। उसके सुधारों के माध्यम से वह सत्ता को मात्र अपने हाथ में केन्द्रित करना था साथ ही सत्ता के अन्य स्रोत को विध्वंश करना भी। अगर उसके सुधारों से जनकल्याण हुआ तो यह जनकल्याण उसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था और क्या यह उद्देश्य भी था। यह बात स्वयं में विवाद ग्रस्थ है। उसने एक साथ जो इतने सुधार कर डाले, उसका भी एक गूढ़ मन्तव्य यह था कि उसके प्रत्येक सुधार की सफलता पहले सुधार की सफलता पर निर्भर थी। अतः उसके सुधारों के मध्य एक अन्तर्सम्बन्ध था।

सन्दर्भ

महाजन, वी.डी. (1997) -*'मध्यकालीन भारत (मुस्लिम कालीन भारत), (1000 ई. से 1761 ई. तक),* एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, रामनगर, नई दिल्ली-110055

मजूमदार, रमेश चन्द,राय चौधरी, हेमचन्द्र, दत्त कालिकिंकर (1970) -*'भारत का वृहद इतिहास',* (मध्यकालीन भारत-2), मैकमिलन, इण्डिया लि0, मद्रास-600041)

वर्मा, हरिश्चन्द्र (1997) -*'मध्यकालीन भारत (750-1540 ई.)'* हिन्दी माध्यम कार्यालय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।

प्रसाद, कामेश्वर (1997) -*'भारत का इतिहास : 1206 ई. से 1526 ई. तक',* भारतीय भवन (पब्लिसर्श एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स), ठाकुर वाड़ी रोड, कदम कुंआ, पटना-800003

लेखकों के लिए निर्देश

शोधपत्र का अनुरोध

लेखक अपना शोधपत्र डॉ. मनीषा शुक्ला ,प्रधान सम्पादिका आन्वीक्षिकी भारतीय शोध पत्रिका को ई-मेल पर प्रेषित करें। (maneeshashukla76@rediffmail.com)

प्राप्त शोधपत्र पत्रिका में प्रकाशन के पूर्व पुनर्निरीक्षित किये जायेंगे। स्वीकृत शोधपत्र कहीं और प्रकाशित नहीं होना चाहिए और न ही उस शोधपत्र का कोई भी भाग प्रधान सम्पादिका के अनुमति के बिना कहीं और प्रकाशित किया जा सकता है। कृपया अपने शोधपत्र की पाण्डुलिपि निम्न भागों में तैयार करें,शीर्षक ;सारांश ;पाण्डुलिपि ;पुस्तक संदर्भ सूची। कृपया पुनर्निरीक्षण की गुणवत्ता में सहायता करने हेतु अपना नाम पता पाण्डुलिपि पर न दें।

शीर्षक :शीर्षक पाण्डुलिपि पर अवश्य दें,किन्तु अपना पूरा नाम,पता,संस्था जहाँ पर अध्ययन अथवा अध्यापन कार्य सम्पादित किया गया हो, आपका विषय,दूरभाष अथवा मोबाइल,फैक्स,ई-मेल पत्राचार हेतु अलग पृष्ठ पर अवश्य दें। उपर्युक्त तथ्य आपके शोधपत्र के शब्द सीमा के अन्तर्गत ही माना जायेगा।

सारांश :कृपया शोधपत्र का सारांश 120 शब्दों में दें।

पाण्डुलिपि :इसके अन्तर्गत मुख्य पाठ्य सामग्री होगी ; जो 5 से 10 पृष्ठ तक होनी चाहिये। शोधपत्र 10 पृष्ठ से (सारांश,शब्द संक्षेप,संदर्भ सूची समेत)अधिक प्रकाशन हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा। अन्यथा वृहद् शोधपत्र(10 पृष्ठ से अधिक) प्रकाशन में देर भी हो सकती है। लेखक को यह बात स्वीकार होनी चाहिए कि शोधपत्र पुनर्निरीक्षण के दौरान किये गये संशोधन उन्हें मान्य होंगे। शोधपत्र प्रकाशन के दौरान त्रुटि की सम्भावना न बने इसका पूरा ध्यान रखा जाता है फिर भी कोई त्रुटि पाये जाने पर लेखक संशोधित रीप्रिंट प्राप्त कर सकता है ; पत्रिका में संशोधन की व्यवस्था नहीं है।

सन्दर्भ वर्णमालाक्रामानुसार :शोधपत्र के समापन पर कृपया संदर्भ वर्णमाला क्रमानुसार दें। पत्रिका का वर्ष,लेखक, पृष्ठ संख्या,भाग इत्यादि विस्तार से दें। पुस्तक शीर्षक या पत्रिका शीर्षक इटालिक दें।

पुस्तक :प्रकाशक का नाम,संस्करण संख्या,प्रकाशन वर्ष,लेखक का नाम,पुस्तक का नाम,पृष्ठ संख्या

पत्रिका :पत्रिका का नाम,लेख का शीर्षक,लेखक का नाम,प्रकाशक का नाम,अंक संख्या/माह,वार्षिक अथवा अर्द्धवार्षिक अथवा मासिक जो भी हो स्पष्ट करें।

समाचार पत्र :प्रकाशक,तिथि,सन् ,पृष्ठ संख्या,

इण्टरनेट :वेबसाइड,पृष्ठ संख्या,मुख्य शीर्षक,अन्तः शीर्षक।

मानचित्र एवं सारणी :मानचित्र एवं सारणी अथवा चित्र शोधपत्र की समाप्ति के अन्त में दें। यह ब्लैक एण्ड व्हाइट ही होना चाहिए। इसका स्पष्ट संकेत पाण्डुलिपि में दें(उदाहरण सारणी संख्या 1)

विशेष :कृपया अपना शोधपत्र ई-मेल करने के बाद डॉक से अवश्य भेजें। अपने शोधपत्र के साथ-साथ अपना वायोडाटा, फोटो,स्वपता लिखा लिफाफा(25 रू के टिकट सहित)भेजें। शोधपत्र यदि हिन्दी भाषा में है तो ए.पी.एस प्रियंका रोमन(ए.पी.एस. कार्पोरेट 2000++)में तैयार सी.डी के साथ दें। शोधपत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लेखक को स्वीकृति पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा। ई-मेल से प्राप्त शोधपत्र हेतु ई-मेल से स्वीकृति भेजी जायेगी। शोधपत्र प्रेषित करने के पूर्व प्रधान सम्पादिका से दूरभाष पर अवश्य सम्पर्क करें। सम्पादक मण्डल अथवा सलाहकार समिति में सम्मिलित करने का अंतिम निर्णय संस्था का होगा।

सदस्यों से निवेदन है कि वर्ष में 20 सदस्य पत्रिका से जोड़कर संस्था का सहयोग करें।

Search Research papers of The Indian Journal of Research Anvikshiki-ISSN 0973-9777 in the Websites given below

http://nkrc.niscair.res.in/BrowseByTitle.php?keyword=A

National Knowledge Resource Consortium

www.icmje.org

ICMJE INTERNATIONAL COMMITTEE of MEDICAL JOURNAL EDITORS

www.scholar.google.co.in

Google scholar

www.kmle.co.kr

KMLE 의학 검색 엔진
Korean medical library engine
http://www.kmle.co.kr

www.fileaway.info

File Away

www.banaras.academia.edu

Academia.edu
follow research

www.www.edu-doc.com

Edu-Doc

www.docslibrary.com

docslibrary
Search Any Document Files Over The Internet!

www.dandroidtips.com

MyCelular.ORG

www.printfu.org

pdf search engine
ARTAPP.NET

www.cn.doc-cafes.com

DOC CAFES

www.freetechebooks.com

Tech eBooks

www.google.com

Google India

IJRA

www.onlineijra.com

ISSN 0973-9777
09739777
₹ 700/-